सं.004/वीजीएल/020

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली,
दिनांक: 11.02.2022

कार्यालय आदेश संख्या. 08/02/22

विषय:-संबंधित संगठनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया के बारे में।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास शिकायतों पर कार्रवाई करने की एक सुपरिभाषित नीति वर्षो से है। आयोग में प्रत्येक वर्ष औसतन 25000 से अधिक शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं। आयोग ने ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए एक समर्पित पोर्टल अर्थात www.portal.cvc.gov.in आरंभ किया है, जिसके बाद ई-मेल के माध्यम से शिकायतों को स्वीकार करने की प्रणाली बंद कर दी गई। तथापि, यह पाया गया है कि आयोग के अधिकारियों के मेल आईडी पर भी शिकायतकर्ता लगातार शिकायतें भेज रहे हैं।

2. इसके अतिरिक्त, एक परिभाषित तंत्र भी है, जहाँ सूचना प्रदाताओं से लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसपर पृथक निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में इसे अद्यतन/इसकी समीक्षा की गई है तथा पीडपी शिकायतों पर कार्रवाई करने के तंत्र की आगे समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

3. सामान्य प्रणाली के माध्यम से आयोग में शिकायतें (पीडपी शिकायतों के अलावा) प्राप्त होने पर, उचित स्तर पर विधिवत संवीक्षा के बाद, शिकायतों पर निम्न कार्रवाइयों में से एक के लिए निर्णय किया जाता है :-

क) अनाम/छद्मनाम शिकायतों को फाइल करना।

ख) संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगना, जहाँ शिकायतों में लगाए गए आरोप सतर्कता दृष्टिकोण वाले गंभीर कदाचार की ओर संकेत करते हैं, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।

ग) जाँच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को शिकायत भेजना तथा आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।

घ) अन्य शिकायत, जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं, इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा जाता है तथा जिसका निपटान उनके स्तर पर किया जाना होता है।

4 . उपर्युक्त पैरा 3(घ) के अनुसार की गई कार्रवाई के संबंध में आयोग शिकायतकर्ताओं से संदर्भ प्राप्त कर रहा है। शिकायतकर्ताओं की प्रमुख शिकायत संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने की है। चूंकि, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों के संबंध में, आगे की सभी कार्रवाई केवल मुख्य सतर्कता अधिकारियों के स्तर पर ही की जानी होती है, अत: यदि शिकायतकर्ता इसके लिए आयोग से संपर्क करते हैं, तो उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए आयोग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

5. आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों के संबंध में स्थिति का आकलन करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए आयोग ने 10/02/2022 को आयोग के

अधिकारियों और एनटीपीसी, गेल, पीएनबी और रक्षा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था।

6. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह पाया गया कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों के वर्तमान तंत्र में कुछ कमियां हैं, क्योंकि यह "एंड टू एंड" समाधान प्रदान नहीं करता है ।

7. अतः, आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन करें, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित प्रत्येक पहलू को देखेगी तथा अपनी संस्तुति देगी ताकि आयोग की शिकायत पर कार्रवाई करने की नीति के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 31.03.2022 से पहले जारी किया जाए। यह उन शिकायतों के संबंध में है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही हैं।

8. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. श्री पी. डेनियल, सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	-	अध्यक्ष
2. श्री शिव रतन अग्रवाल, निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	-	सदस्य
3. श्री राजीव वर्मा, निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	-	सदस्य
4. श्रीमती त्रिशलजीत सेठी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनटीपीसी	-	सदस्य
5. श्रीमती शुभा नरेश भंभानी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, गेल	-	सदस्य
6. श्री वी.के. त्यागी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, पीएनबी	-	सदस्य
7. श्री नवीन जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रक्षा मंत्रालय	-	सदस्य
8. श्रीमती एम जानकि, निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	-	संयोजक

9. समिति उक्त कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करेगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों के संबंध में "एंड टू एंड" समाधान प्राप्त करने के लिए शिकायत पर कार्रवाई करने की नीति के अंतर्गत दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए अपनी संस्तुतियाँ देगी। समिति आयोग के पास शिकायत दर्ज कराने के तरीके के बारे में भी अपनी सिफारिशें देगी।

10. समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्रतापूर्वक कार्य करे ताकि संशोधित दिशा-निर्देश को अंतिम रूप दिया जा सके और इसे 31.03.2022 तक जारी किया जा सके।

11. यह आदेश आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में

(i) समिति के सदस्य
(ii) आयोग की वेबसाईट